न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बाड़मेर

पंचायत निगरानी सं. 13/2025/कालाराम बनाम ग्रा.पं. भूणिया व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
04-04-25	अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री देवीलाल कुमावत द्वारा वकालतनामा एवं प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर पत्रावली आज सुनवाई पर लेने हेतु निवेदन किया जिस पर आज पत्रावली पेशी पर ली गई। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस निगरानी प्रार्थना–पत्र पर अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3 द्वारा प्रारम्भिक आपत्तियां प्रस्तुत करते हुए निगरानी प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। हमने अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 3 के अधिवक्ता की बहस सुनी तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3 द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत कर प्रकट किया गया कि हस्तगत निगरानी प्रार्थना–पत्र कालाराम व अन्य द्वारा प्रस्तुत किया गया हैं जो कि आलौच्य पट्टों से प्रभावित पक्षकार नहीं है। इस कारण प्रार्थी की कोई भी लोकस स्टैण्डी नही हैं, इस कारण प्रार्थी यह निगरानी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं हैं। कोई भी निगरानी/वाद/प्रार्थना–पत्र ऐसे प्रभावित पक्षकार द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता हैं जिसके अधिकार वादग्रस्त विषयवस्तु से प्रभावित होते हों, जबकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के न तो वादग्रस्त भूमि/पट्टे से अधिकार प्रभावित होते हैं और न ही प्रार्थी प्रभावित पक्षकार हैं। प्रार्थी द्वारा अपने निगरानी प्रार्थना–पत्र में कथन किया हैं कि उसके द्वारा जनहित मे निगरानी प्रस्तुत की जा रही हैं, इस प्रकार जनहित में केवल माननीय उच्च न्यायालय में रिट ही प्रस्तुत की जा सकती हैं। प्रार्थी को जनहित में निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है, इस कारण प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं होने से मय खर्चा खारिज फरमाई जावें। प्रार्थी के अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा अनियमित रूप से आलौच्य पट्टा विलेख जारी किया गया हैं, जिस पर अप्रार्थी का कोई हित अधिकार नहीं था। विवादित भूमि ग्राम पंचायत की सार्वजनिक उपयोग के लिये रखी गई थी जिसमें जनहित के लिये भूमि का आवंटन किया जाना था। अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में आलौच्य पट्टा विलेख संख्या 03 दिनांक 02.09.2024 जारी करने में ग्राम पंचायत भूणिया की ओर से कोई विधिवत कार्यवाही नहीं की गई तथा अप्रार्थी सं. 2 को नाजायज फायदा दिलाने एवं सार्वजनिक हित के लिये आरक्षित भूमि को हड़पने हेतु आलौच्य पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी इसी ग्राम पंचायत क्षेत्र का जागरूक नागरिक हैं, जिसने जनहित के लिये इस प्रकरण को न्यायालय के सामने लाया हैं। पंचायतीराज अधिनियम में निगरानी प्रस्तुत करने हेतु हितबद्ध पक्षकार होना आवश्यक नहीं है, इसके उपरांत भी जो भूमि सार्वजनिक हित की हों उसके लिये आम नागरिक को निगरानी प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार हैं। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:43:24 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बा.
(ए.डी.एम.)

अप्रार्थी सं. 3 की प्रारम्भिक आपत्तियों को खारिज करते हुए निगरानी प्रार्थना–पत्र गुणावगुण पर निर्णित करते हुए आलौच्य पट्टा विलेख खारिज फरमाया जावें।

हमने अधिवक्तागण उभय पक्षकारान के द्वारा प्रकट बहस अभिकथनों पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अद्योपान्त अवलोकन एवं अध्ययन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3 की प्रारम्भिक आपत्ति प्रमुख रूप से इस विधिक बिन्दु पर हैं कि प्रार्थी आलौच्य पट्टा विलेख एवं विवादग्रस्त भूमि में प्रभावित पक्षकार नहीं होने से उसे यह निगरानी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं हैं तथा यह निगरानी पोषणीय नहीं हैं। इस सम्बन्ध में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 का अवलोकन किया जिसका उद्धरण निम्नानुसार है–

"97. राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन की शक्ति – (1) राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उपसमिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और, यदि किसी भी मामलें में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनविचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी :

परन्तु राज्य सरकार किसी भी पक्षकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं करेगी जब तक ऐसे पक्षकार को मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न मिल गया हो।"

इस प्रकार अधिनियम में यथा विहित प्रावधान अनुसार किन्ही भी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उपसमिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में परीक्षण करने एवं उस पर विनिश्चय करने हेतु स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर ही अभिलेख मंगाया जाकर उस पर विनिश्चय किया जा सकता हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी [illegible] पक्षकार हो, ऐसा कोई तथ्य या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया [illegible] है, [illegible] तक जनहित का प्रश्न हैं तो इसके लिये प्रार्थी को विहित प्रक्रिया के [illegible] सक्षम अनुमति उपरांत ही जनहित का वाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए। [illegible] प्रार्थी इस निगरानी प्रार्थना–पत्र में किसी भी रूप में हितबद्ध व्यक्ति [illegible] होने से उसकी ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र श्रवण योग्य नहीं हैं।

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:43:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बाड़मेर

पंचायत निगरानी सं. 13/2025/कालाराम बनाम ग्रा.पं. भूणिया व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तामील
	अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3 द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्तियां स्वीकार करते हुए हस्तगत निगरानी प्रार्थना–पत्र में आलौच्य पट्टा विलेख एवं विवादित भूमि में प्रार्थी हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र श्रवण योग्य एवं पोषणीय नहीं होने खारिज किये जाते हैं। इसके अलावा धारा 97 में यह भी प्रावधान किया गया हैं कि स्वप्रेरणा से कार्यवाहियों को मंगवाकर उसका परीक्षण कर सकती हैं, अर्थात् प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत की आलौच्य कार्यवाहियों के बाबत जो आक्षेप प्रस्तुत किये गये हैं, उसकी प्राथमिक रूप से जांच उपरांत यदि प्रतीत हों कि ग्राम पंचायत की ओर से जारी किये गये पट्टा अभिलेख की वैधानिकता, औचित्यता एवं नियमितता के बारे में परीक्षण किये जाने की आवश्यकता हैं, तो इसके लिये विकास अधिकारी, पंचायत समिति धनाउ को निर्देशित किया जाता हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों के बारे में प्राथमिक रूप से जांच कर यदि किसी प्रकार की अनियमितता परिलक्षित होती हैं तो नये सिरे से निगरानी प्रार्थना–पत्र मय आलौच्य मूलं अभिलेख पुनः प्रस्तुत करें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम हों एवं दाखिल दफ्तर हों। विकास अधिकारी पंचायत समिति को साबिका आदेशानुसार आदेशिका की प्रमाणित प्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हों। अति0 जिला कलक्टर बाड़मेर अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:43:24 IST
Reason: SelfAttested